रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 348] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 1970/भाद्र 27, 1892

No. 348] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 1970/BHADRA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(TRANSPORT WING)
NOTIFICATION

New Delhi the 18th September 1970

S.O. 3123.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles Act, 1969 (56 of 1969), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1970 as the date on which the provisioons of sections and 13, clause (a) of section 16, clause (c) of section 29, sections 36 and 37, sub-clause (i) of clause (a) of section 41, sections 44, 45 and 56 of the said Act shall come into force.

[No 39-TAG (1)/70.]

K. NARAYANAN, Jt, Secy.

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1970

का० आ० 3123.—मोटरयाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 56) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1970 के अक्टूबर के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त

अधिनियम की धारा 9 और 13, धारा 16 के खंड (क) धारा 29 के खंड (ङ) धारा 36 और 37, धारा 41 के खंड (क) के उपखंड (1) धारा 44, 45 और 56 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[सं० 39—टी० ए० जी० (1)/70]

के० नारायणन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970